गोअभ्यारण्य योजना

पृष्ठभूमि :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के जवाब में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर जिले की डूंगरगढ तहसील के ग्राम नापासर में 5 करोड़ रूपये की लागत से गौअभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई।

उद्देश्यः–

1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवर्गीकृत वृद्ध, अपंग/निराश्रित गौवंश एवं वध से बचाये गये गौवंश को गौशाला, पिंजरापोल, गोसदन एवं अन्य स्थानों पर प्रायः शरण नहीं मिलने के कारण तत्काल आवास, भरण–पोषण एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।
2. गोअभ्यारण्य में संधारित 15 से 18 माह के नर बछड़ों का बधियाकरण तथा कृषि, परिवहन एवं ऊर्जा कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जाकर इच्छुक काश्तकारों व संस्थाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाना।
3. गोअभ्यारण्य में तैयार वर्गीकृत नर बछड़ों को इच्छुक काश्तकारों व ग्राम पंचायतों को संवर्धन के लिए प्राकृतिक परिसेवा हेतु निःशुल्क वितरण करना।
4. नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति से हरे एवं सूखे चारे का उत्पादन कर चारे की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को कम करना, अधिशेष सूखे चारे का चारा डिपो के रूप में भण्डारण की व्यवस्था करना।
5. वर्मी कम्पोस्ट, नेडेप कम्पोस्ट, अमृत पानी (Liquid Bio Fertilizer) एवं स्लरी (Slurry) जैसे जैविक खादों से जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।
6. बायोगैस से सुविधाजनक ईंधन, सी.एन.जी. (Compressed Natural Gas) एवं बिजली (Electricity) का उत्पादन कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना।
7. गौउत्पादों के अनुसंधान के माध्यम से मूल्य संवर्धन एवं प्रयोगशाला से परीक्षण पश्चात् विपणन कर आत्मनिर्भरता के प्रयास करना।
8. गोअभयारण्य में अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत मादा गौवंश को पृथक कर गौसंवर्धन एवं गौसरंक्षण के कार्य किया जाना तथा क्षेत्रीय प्रजनन नीतिनुसार गौवंश के वर्गीकृत प्रजनन सांडों/कृत्रिम गर्भाधान या आधुनिक तकनीक द्वारा गौसंवर्धन कर उत्तरोत्तर नस्ल सुधार कर उन्नत देशी गौवंश के नर/बछड़ियां तैयार करना।
9. गोअभयारण्य में मृत गौवंश के निस्तारण हेतु कारकस प्लांट की स्थापना करवाकर सुचारू रूप से निस्तारण कर मृत गौवंश से आर्थिक लाभ प्राप्त करना।

10. गोअभयारण्य के लिए स्थायी परिसम्पतियों का सृजन हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की गुरूगोलवलकर जन–सहभागिता एवं नरेगा, अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ जनसहभागिता अथवा अभिसरण (Convergence) के माध्यम से आधारभूत संरचना तैयार करवाना।
11. गोअभयारण्य में नवाचारों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाकर इसे आदर्श रूप में स्थापित करने का प्रयास करना।

योजना की अवधि :– 2018–19 (एक वर्ष)

प्रावधित राशि :–

राशि रू. 500 लाख राशि का व्यय माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत निदेशालय गोपालन को देय राशि में से किया जाना है।

योजना से लाभ :–

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवर्गीकृत वृद्ध, अपंग/निराश्रित गौवंश एवं वध से बचाये गये गौवंश के लिए तत्काल आवास, भरण–पोषण एवं चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होने के कारण गौशाला एवं पिंजरापोल के अलावा अन्य स्थानों पर सीमित संसाधन उपलब्ध होने के कारण प्रायः शरण नहीं मिल पाती है।

योजना का समन्वयन एवं पर्यवेक्षण :– गोपालन विभाग।

योजना का क्रियान्वयन :– 01 अप्रेल, 2018

योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी :– गोअभ्यारण्य में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसी एक विभाग के माध्यम से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में निर्माण करवाया जा सकता है।

- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- कृषि विपणन बोर्ड।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग।
- स्वायत्त शासन विभाग।

गोअभयारण्य संचालन हेतु चयन की प्राथमिकताएंः–

1. राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत गौशाला अथवा गौसदन, पिंजरापोल एवं स्वायत्तशाषी संस्था द्वारा संचालित गौशाला अथवा गौपुनःर्वास केन्द्र गोअभयारण्य हेतु पात्र माने जायेगें।
2. संस्था के पास कम से कम 1000 गौवंश निरन्तर रहा हो तथा गौवंश का पालन पोषण किये जाने के साथ–साथ स्वयं के स्वामित्व अथवा सक्षम स्वीकृति प्राप्त लीज (न्यूनतम 10 वर्ष) की भूमि/गोचर/सिवायचक भूमि उपलब्ध हो।
3. संस्था के पास, आवास, पशु–पेयजल एवं चारा भण्डारण, आदि की आधारभूत सुविधाऐं विकसित करने हेतु समुचित भूमि उपलबध होनी चाहिये।
4. गोअभयारण्य संचालन हेतु संस्था की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार गौ–सेवा कार्यो पर संस्था द्वारा किये गये व्यय के आधार पर कार्य संतोषप्रद एवं प्रगतिशील होना चाहिये।
5. गोअभयारण्य विकसित करने हेतु संस्था प्रबंधन को राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र (एग्रीमेंट) हस्ताक्षरित करना होगा तथा एग्रीमेन्ट के आधार पर कम से कम 10 वर्ष तक गोअभयारण्य को संचालित करने का दायित्व निर्वहन करना होगा। संस्था की कार्य प्रगति रिपोर्ट संतोषप्रद होने की स्थिति पर इस अवधि में वृद्वि का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
6. राज्य सरकार गोअभयारण्य संचालन की प्रगति असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित संस्था का एग्रीमेन्ट किसी भी समय 3 माह का नोटिस देकर समाप्त कर सकती है। संस्था द्वारा अपरिहार्य परिस्थिति में कार्य छोडने की स्थिति में राज्य सरकार को कम से कम एक वर्ष पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा।
7. जिनके विरूद्ध कोई वित्तिय अनियमितता/गबन का प्रकरण विचाराधीन नहीं हो।

योजना की शर्ते :–

1. गोअभ्यारण्य में संधारित समस्त गौवंश की पहचान हेतु टैगिंग अनिवार्य की जायेगी।
2. विभाग द्वारा गौवंश को सहायता राशि नियमानुसार दी जायेगी।
3. गोअभ्यारण्य को आधारभूत संरचना निर्माण हेतु सहायता दी जायेगी।

4. सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तान्तरण/खुर्दबुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
5. योजनान्तर्गत देय राशि केवल नवीन निर्माण कार्य हेतु ही स्वीकृत की जायेगी।
6. गोअभ्यारण्य समिति द्वारा राज्य सरकार (जिला कलक्टर) के साथ उक्त शर्तों को स्वीकार करने हेतु अग्रिम रूप में औपचारिक अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त ही राशि स्वीकृत की जायेगी।
7. स्वीकृत एवं प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का नाम, विवरण, लागत राशि, कार्य अवधि आदि के विवरण का एक बोर्ड सम्बन्धित गोअभ्यारण्य के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा।

योजना के अन्तर्गत अनुमत निर्माण एवं विकास कार्य :–

- **आधारभूत सुविधाएं एवं पक्के निर्माण**
  1. शेड या गौ–आवास निर्माण।
  2. चारा भण्डार गृह।
  3. पानी की खेली निर्माण।
  4. चारा ठांण निर्माण।
  5. पानी की टंकी/टांका निर्माण।
  6. पशु चिकित्सा संस्था का निर्माण।
  7. बाड़े/शेड़ के अन्दर खरन्जा निर्माण (खड़ी ईटों का)।
  8. चारदीवारी निर्माण।

निर्माण कार्यो का चुनाव :–

- गोअभ्यारण्य में कौनसा नवीन निर्माण कार्य कराना है यह गोअभ्यारण्य प्रबन्धन द्वारा स्वयं ही आवश्यकता के आधार पर तय किया जाकर कार्य का प्रस्ताव तथा उस पर निर्माण का तकमीना पंचायत समिति/नगरपालिका/पी.डब्ल्यू.डी./कृषि विपणन के अभियन्ता से तैयार कराकर जिला कलक्टर के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

- गोअभ्यारण्य के प्रस्ताव को जिला स्तरीय गोपालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला गोपालन समिति के अनुमोदन के पश्चात् ऐसे निर्माण कार्यो की स्वीकृति सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी की जायेगी।

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 9 के अन्तर्गत गठित निम्न जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय लिया जायेगा :–

जिला कलक्टर	: अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	: सदस्य
कोषाधिकारी	: सदस्य
जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	: सदस्य सचिव
जिला उप निदेशक, कृषि	: सदस्य

सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी का प्रतिनिधि इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेगा।

<u>स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया</u> :–

1. गोअभ्यारण्य प्रबन्धन द्वारा वांछित निर्माण कार्यो की समग्र योजना तैयार कर आवश्यकता के आधार पर किये जाने वाले निर्माण/विकास कार्यो को चिन्हित किया जायेगा।
2. निदेशालय गोपालन द्वारा अनुमोदित गौवंश के लिए शेड, चारा भण्डार गृह, पानी का टांका, तारबंदी आदि के निर्माण के तकमीना का प्रारूप व अधिकतम अनुमानित दर परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।
3. निदेशालय गोपालन द्वारा अनुमोदित गौवंश के लिए शेड, चारा भण्डार गृह, पानी का टांका, तारबंदी आदि के निर्माण के तकमीना का प्रारूप व अधिकतम अनुमानित दर का एकल रूप में अथवा गुणात्मक रूप में, एक या एक से अधिक कार्य हेतु जिला गोपालन समिति की स्वीकृति के पश्चात् जारी किया जा सकेगा।
4. संबंधित गोअभ्यारण्य प्रबन्धन द्वारा प्रस्ताव जिला कलक्टर के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।
5. यदि गोअभ्यारण्य प्रबन्धन अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाना चाहता है तो कार्य को चिन्हित कर गौवंश की संख्या के आधार पर निर्धारित अधिकतम प्रावधित राशि की सीमा से अधिक राशि का वहन स्वयं को करना होगा तथा अनुमत कार्यों का तकमीना एवं ड्राईंग अभियन्ता से तैयार करवाकर जिला गोपालन समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होगा।
6. जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा इन प्रस्तावित कार्यों पर विचार कर स्वीकृति जारी की जायेगी।
7. इस योजना के साथ गोअभ्यारण्य प्रबन्धन अन्य प्रचलित योजनाओं जैसे गुरू गोलवलकर जन सहभागिता योजना, मनरेगा, सांसद एवं विधायक कोष आदि का

लाभ भी ले सकेगी परन्तु एक ही निर्माण पर दो जगहों से वित्तीय स्वीकृति एवं राशि किसी भी स्थिति में स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8. योजना में यथासंभव ऐसे कार्य लिये जावेंगे जो उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाये। नवीन कार्य तभी स्वीकृत किये जा सकेंगे जब पहले स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हो तथा उनकी यू.सी. प्राप्त हो चुकी हो।
9. जिला स्तर पर स्वीकृत एवं आवंटित राशि की सूचना जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय गोपालन को नियमित रूप से दी जावेगी तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि निर्धारित राशि से अधिक की स्वीकृतियां जारी नहीं की जावे।
10. जिला स्तरीय समिति तथा गोपालन निदेशालय द्वारा नामित लेखा परीक्षण दल या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत राजकीय संस्थान लेखा एवं वित्तीय अभिलेखों का कभी भी निरीक्षण एवं ऑडिट करा सकेगी।

क्रियान्वयन एजेंसी के कार्य एवं भूमिका :–

1. योजना मे निर्माण कार्य संबंधित जिला परिषद/कृषि विपणन बोर्ड/सार्वजनिक निर्माण विभाग/स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से कराये जाऐगे। इस हेतु सम्बन्धित कार्यकारी संस्था में पृथक से लेखा अभिलेख संधारित किया जायेगा।
2. सम्बन्धित कार्यकारी संस्था द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं राशि के नियमानुसार उचित उपयोग का दायित्व होगा, जिसके लिए जिला स्तरीय अधिकारी/सहायक अभियन्ताओं के द्वारा एवं निदेशालय गोपालन द्वारा नियुक्त व्यक्ति/सहायक अभियन्ता समय–समय पर निर्माण कार्यो का निरीक्षण कर पर्यवेक्षण किया जावेगा।

योजना राशि का अवमोंचन (Release) :–

1. योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात गोपालन विभाग द्वारा वित्त विभाग से राशि आवंटन करायी जाकर जिला कलेक्टर को 500 लाख रूपये का बजट आवंटित किया जायेगा।
2. संबंधित जिला गोपालन समिति से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा राशि सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को आवंटित की जायेगी। वित्तीय स्वीकृत राशि को दो किस्तों में अथवा एक किश्त में (जैसा कि जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला गोपालन समिति द्वारा उचित समझी जावे) दिया जा सकता है।
3. योजना में व्यय राशि का पूर्ण विवरण जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित कार्यकारी संस्था में रखा जायेगा। राज्य स्तर पर बजट नियंत्रण गोपालन विभाग द्वारा किया जायेगा।

सम्पतियों का ब्यौरा :–

1. योजना से सृजित सम्पतियों का इन्द्राज हेतु सम्पति रजिस्टर सम्बन्धित कार्यकारी संस्था एवं संबंधित गोअभ्यारण्य में संधारित किया जायेगा, जिसमें निर्माण वर्ष, लागत, निर्माण का विवरण, पूर्णता की तिथि, राजकीय स्वीकृत राशि, व्यय राशि आदि का विवरण होगा।

अंकेक्षण :–

1. योजना के अंतर्गत व्यय राशि एवं लेखा अभिलेखों का अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के द्वारा कराया जायेगा। निदेशालय गोपालन के वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा भी लेखों की जांच की जायेगी। अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति जिला कलेक्टर, निदेशालय गोपालन तथा राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

पूर्णता प्रमाण पत्र :–

1. कार्य समाप्ति पर स्वीकृत एवं व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा जिला गोपालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी एक प्रति गोपालन निदेशालय को भी पृष्ठांकित की जायेगी।